# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

**सूचना का अधिकार अपील 08/2024**

बनाम

| अपीलांटः– | रेस्पोडेंट :– |
| --- | --- |
| 1. सुमेरलाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बलोतरा। | 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा। |

**आदेश**

दिनांक 08.05.2024

अपीलार्थी सुमेरलाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बलोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 25.02.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन एवं इस क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। अपीलार्थी ने उक्त आवेदन चाही सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्रस्तुत किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं थी इसलिए संबंधित विभाग को हस्तानांतरित की जा चुकी थी। अपीलार्थी द्वारा अन्य विभाग से संधित सूचना हेतु इस कार्यालय में अनावश्यक आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। जिससे कार्यालय में कार्य बाधा उत्पन होती है जिसके फलस्वरूप आवश्यक कार्यों को संपादित करने में विलम्ब होता है। अपीलार्थी को भविष्य में इस कार्यालय में नियम के विरूद्ध सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने हेतु निषेध करावे। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज की जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना अति विस्तृत, अस्पष्ट एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत अति विस्तृत सूचना देने का प्रावधान नहीं है। राज कार्य में बाधा उत्पन्न करना प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा